तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गौतम गहलोत बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 229/2023 ( )	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.11.23	अपीलार्थी गौतम गहलोत पुत्र भोपालसिंह गहलोत निवासी नागोरीगेट के अन्दर, जीवनदास का कुआ, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.04.2023. में उसके द्वारा (1) कार्यालय जिला कलक्टर राजस्व शाखा जोधपुर पुलिस थाना महामंदिर द्वारा अवैध रूप से ली गई 300 वर्गगज पट्टासुदा भूमि अवाप्ति बाबत् पत्रावली दिनांक 20.10.22 से फाईल पर उपलब्ध सम्पूर्ण ऑर्डरशीट व पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दुओ ; से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1120 दिनांक 18.10.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी गौतम गहलोत के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण आवेदन पत्र की छाया प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के तहत कार्यालय पत्रांक 614 दिनांक 13.06.2023 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा से अभी तक सूचना अपेक्षित हाने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा को धारा 5(5) के तहत प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कार्यालय हाजा को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश प्रदान करने की इस्तदुआ की। चूंकि प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कार्यालय हाजा द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर, जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	